हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर गढ़वाल–246174 उत्तराखण्ड, भारत
(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
Hemvati Nandan Bahuguna Garhwal University, Srinagar Garhwal, Uttarakhand-246174 (INDIA)
(A Central University)

प्रो० योगम्बर सिंह फर्स्वांण
Prof. Yogambar Singh Farswan

प्रथम अपीलीय अधिकारी
First Appellate Authority
E-Mail: farswanysgmail.com Mobile No.: 91-9456347347

Ref.No.: YSF/FAA/2026/50

Dated: 09-05-2026

परिपत्र (Notification)

हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के समस्त केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों के संज्ञान में लाना है कि कुछ केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी प्रथम अपील की सुनवाई में अनुपस्थित रहते हैं और किसी सहायक केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी को भी अधिकृत नहीं किया जाता है, जिसके कारण सूचना अधिकार के प्रकरणों के निस्तारण में व्यवधान हो रहा है।

अतः इस परिपत्र के माध्यम से हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के समस्त केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों को सूचित किया जाता है कि भविष्य में इस प्रकार की पुनर्रावृत्ति न की जाए और प्रथम अपील की सुनवाई में सूचना अधिकार के प्रकरणों से सम्बन्धित पत्रावलियों के रखरखाव करने वाले अपने अधीनस्थ सहायक के साथ आवश्यक रूप से उपस्थित होना सुनिश्चित करें, जिससे सूचना अधिकार के प्रकरणों का निस्तारण सही प्रकार से किया जा सके।

सहायक केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी को प्रथम अपील की सुनवाई हेतु तभी अधिकृत किया जाए जब सम्बन्धित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी अवकाश पर हों। सहायक केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी को अधिकृत किये जाने के लिए आवश्यक रूप से विधिवत पत्र निर्गत किया जाना भी सुनिश्चत किया जाए।

इसके साथ-साथ हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के समस्त केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों को यह भी अवगत कराना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम २००५ के प्राविधानों के तहत संस्थान के अधिकारी या किसी भी लोक सूचना अधिकारी द्वारा कोई भी आदेश या पत्र निर्गत किया जाता है तो उस पत्र में निम्न विवरण आवश्यक रूप से होने चाहिए:-

१. अधिकारी का नाम २. अधिकारी का पदनाम ३. फोन नम्बर, मेल आई०डी०, पता आदि, एवं ४. हस्ताक्षर

प्रथम अपील की सुनवाई के दौरान मैने पाया कि हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों या अधिकांश अधिकारियों द्वारा उक्त प्राविधानों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार यह सूचना का अधिकार अधिनियम २००५ के प्राविधानों का घोर उल्लंघन है।

अतः हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के समस्त अधिकारियों/केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि भविष्य में इस प्रवृत्ति को न दोहराया जाए और सूचना का अधिकार अधिनियम २००५ के प्राविधानों के तहत आदेशों/पत्रों को निर्गत करना सुनिश्चित किया जाए, अन्यथा की स्थिति में सूचना अधिकार अधिनियम २००५ के प्राविधानों के तहत प्रशासनिक कार्यवाही हेतु अनुशंसा संस्थाध्यक्ष को अग्रसारित कर दी जाएगी।

YSFarswan

प्रो० योगम्बर सिंह फर्स्वांण
प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि: 1. हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के समस्त अधिकारी एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारीगण ।

२. माननीय कुलपति महोदय, हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

YSFarswan

प्रो० योगम्बर सिंह फर्स्वांण
प्रथम अपीलीय अधिकारी